

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1822 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 21/12/2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- धाला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० 9401/2015)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 08.08.2016.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 08.08.2016 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय से दिनांक 11.08.2016 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 3006/12-1 दिनांक 16.12.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

| क्र०सं० | निराकरण | आपत्ति |
|---------|---|---|
| 1 | Short narrative (Para-A.I(III) online part-I) does not adequate information about the project | Short narrative of the project providing adequate information regarding project in part I is uploaded.(online para-A-1)(iii) |
| 2 | At A I(x) part I online total period for which diversion is required is mentioned as nil. | The total period for which forest land diversion is required is mentioned in at A-1(x)part-I |
| 3 | As per information provided at A.3 part I online, the application is filed by shri kumdan lal verma .EE where the authority to file the applivation uploaded at A.3 (xvii) is in the name of shri satish Chandra Arya. Authorization in favor of Kundan Lal Verma may be provided uploaded. | To make the connectivity with the existing road & to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment .there is no any alternate alignment. |
| 4 | KML file fo the proposed uploaded at para C(iii) of part I shows that a long stretch towards end point of the proposed alignment passes through forest land without presence of any village and connects to an already existing road. May review deleting this segment to reduce the requirements of forest land at it is not benefiting any village. | To make the connectivity with the existing road and to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment. There is no any alternate alignment. |
| 5 | In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) part I online the geo coordinates have been shown at very few points. May provide upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed mad including all turning points. | Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached at C (iv)part I |
| 6 | The justification for location the road on forest land uploaded at Para-D-I(i) online part-I provided justification for construction of this road and not justification for locating the same on forest land. | The justification for locating the road on forest land uploaded at Para -D-I(i) online part-I provided. |
| 7 | FRA certificate is not uploaded at Para k of online part-I moreover in the village wise breakup uploaded at Para B-2.3 forest and proposed for diversion SI shown to be distributed over 7 villages whereas in hard copy of FRA certificate | Complete FRA certificate along with all enclosures are uploaded after necessary corrections in K (i)(a). |

| | | |
|----|---|---|
| | proceedings of the meeting on Gram Sabha regarding settlements of rights has been provided only in respect of 1 village name Gothiya and in the also the date of meeting mentioned in proceeding is 12-12-2015 and the date mentioned in the attendance sheet 12-01-2015. May upload complete FRA certificate along with all enclosures after attending these observations. | |
| 8 | Scanned copy of geo referenced digital map of CA at para L(v) is provided on Google earth image which does not serve any purpose. In addition geo coordinate of one point only is shown in this map may provide upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file. | GIS software generated geo reference digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in the shape (polygon/closed area) file uploaded at Para- L(v) |
| 9 | As per decision support system (DSS) analysis in KML of CA in part II . the extent of area is 3.86 ha instead of 6.66ha area proposed for CA may upload. KML may also be uploaded/ provided accordingly showing coordinate for correct extent of CA area. | The actual area for CA is 6.6ha which is corrected now and KML showing coordinates for correct extent of CA area is uploaded. |
| 10 | A copy of SOI toposheet showing location of the area propose for diversion is uploaded instead of a copy of SOI toposheet showing location of the area proposed for CA at the Para-L (vi) of online part I may upload the SOI toposheet map showing location of area proposed for CA. | SOI toposheet map showing location of area proposed for CA is uploaded CA at Para-L (iv)of online part I |
| 11 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2009-10 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road is validated for the year 2016-17 |
| 12 | In the additional document at serial no 8 uploaded in part I . the density is mentioned as 0.4 where as in para 4 (ii) of part II online the density is mentioned as 0.3 may indicate correct density and revised NPV will also accordingly if required. | 0.3 घनत्व के अनुसार एनपीवी का संशोधित प्रमाण पत्र पुनः एडिशनल इनफोरमेशन में संलग्न कर दिया गया है। |
| 13 | Number of trees mentioned in the list uploaded as additional document in part I is 240 where as detail of only 238 trees provided in para 4 of online part II. | प्रस्ताव में वृक्ष प्रभावित सूची में त्रुटिबस 30-40 व्यास वर्ग वृक्षों का योग 20 लिखा गया है जबकि 18 की वृक्ष हैं। जिसके कारण कुल योग 238 वृक्षों का है। |
| 14 | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) is not opening may upload it again. | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) . |
| 15 | At para -13(vii) of online part-II the CA schemes uploaded is for 8.55ha where as per detail provided at para-13(i) of online part-II it should be for 6.66ha. | फार्म II के पैरा -13(1) में क्षतिपूरक क्षेत्रफल 6.650 है0 अंकित कर दिया गया है। |
| 16 | Part I,II,III,IV,V of hard copy is not provided duly filled and signed the concerned officers. | Signed hard copy of Part-I is submitted along with hard copy of proposal to nodal office with office letter no 1057/36c date. 16-05-2016. Form Part II uploaded in additional information . |

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3006 / 124(2) अल्मोड़ा दिनांक 16-12-2016

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

विषय थाला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० 9401/2015)

सन्दर्भ आनलाइन आपत्ति

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगी आपत्तियों के निराकरण की पठनीय प्रति एवं संलग्नक डिजिटल मैप आदि की कलड कापी (हार्ड कापी के रूप में) साफ्ट कापी भी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

| क्र०सं० | निराकरण | आपत्ति |
|---------|---|--|
| 1 | Short narrative (Para-A.I(III) online part-I) does not adequate information about the project | Short narrative of the project providing adequate information regarding project in part I is uploaded.(online para-A-1)(iii) |
| 2 | At A I(x) part I online total period for which diversion is required is mentioned as nil. | The total period for which forest land diversion is required is mentioned in at A-1(x)part-I |
| 3 | As per information provided at A.3 part I online, the application is filed by shri kundan lal verma .EE where the authority to file the applivation uploaded at A.3 (xvii) is in the name of shri satish Chandra Arya. Authorization in favor of Kundan Lal Verma may be provided uploaded. | To make the connectivity with the existing road & to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment .there is no any alternat alignment. |
| 4 | KML file fo the proposed uploaded at para C(iii) of part I shows that a long stretch towards end point of the proposed alignment passes through forest land without presence of any village and connects to an already existing road. May review deleting this segment to reduce the requirements of forest land at it is not benefiting any village. | To make the connectivity with the existing road and to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment. There is no any alternat alignment. |
| 5 | In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) part I online the geo coordinates have been shown at very few points. May provide upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed mad including all turning points. | Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached at C (iv)part I |
| 6 | The justification for location the road on forest land uploaded at Para-D-I(i) online part-I provided justification for construction of this road and not justification for locating the same on forest land. | The justification for locating the road on forest land uploaded at Para -D-I(i) online part-I provided. |
| 7 | FRA certificate is not uploaded at Para k of online part-I moreover in the village wise breakup uploaded at Para B-2.3 forest and proposed for diversion SI shown to be distributed over 7 villages whereas in | Complete FRA certificate along with all enclosures are uploaded after necessary corrections in K (i)(a). |

| | | |
|----|---|---|
| | meeting on Gram Sabha regarding settlements of rights has been provided only in respect of 1 village name Gothiya and in the also the date of meeting mentioned in proceeding is 12-12-2015 and the date mentioned in the attendance sheet 12-01-2015. May upload complete FRA certificate along with all enclosures after attending these observations. | |
| 8 | Scanned copy of geo referenced digital map of CA at para L(v) is provided on Google earth image which does not serve any purpose. In addition geo coordinate of one point only is shown in this map may provide upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file. | GIS software generated geo reference digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in the shape (polygon/closed area) file uploaded at Para- L(v) |
| 9 | As par decision support system (DSS) analysis in KML of CA in part II . the extent of area is 3.86 ha instead of 6.66ha area proposed for CA may upload. KML may also be uploaded/ provided accordingly showing coordinate for correct extent of CA area. | The actual area for CA is 6.6ha which is corrected now and KML showing coordinates for correct extent of CA area is uploaded. |
| 10 | A copy of SOI toposheet showing location of the area propose for diversion is uploaded instead of a copy of SOI toposheet showing location of the area proposed for CA at the Para-L (vi) of online part I may upload the SOI toposheet map showing location of area proposed for CA. | SOI toposheet map showing location of area proposed for CA is uploaded CA at Para-L. (iv)of online part I |
| 11 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2009-10 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road is validated for the year 2016-17 |
| 12 | In the additional document at serial no 8 uploaded in part I . the density is mentioned as 0.4 where as in para 4 (ii) of part II online the density is mentioned as 0.3 may indicate correct density and revised NPV will also accordingly if required. | 0.3 घनत्व के अनुसार एनपीवी का संशोधित प्रमाण पत्र पुनः एडिशनल इनफोरमेशन में सलग्न कर दिया गया है। |
| 13 | Number of trees mentioned in the list uploaded as additional document in part I is 240 were as detail of only 238 trees provided in para 4 of online part II. | प्रस्ताव में वृक्ष प्रभावित सूची में ट्रुटिवस 30-40 व्यास वर्ग वृक्षों का योग 20 लिखा गया है जबकि 18 की वृक्ष हैं। जिसके कारण कुल योग 238 वृक्षों का है। |
| 14 | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) is not opening may upload it again. | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) . |
| 15 | At para -13(vii) of online part-II the CA schemes uploaded is for 8.55ha where as per detail provided at para-13(i) of online part-II it should be for 6.66ha. | फार्म II के पैरा -13(1) में क्षतिपूर्क क्षेत्रफल 6.650 है0 अंकित कर दिया गया है। |
| 16 | Part I,II,III,IV,V of hard copy is not provided duly filled and signed the concerned officers. | Signed hard copy of Part-I is submitted along with hard copy of proposal to nodal office with office letter no 1057/36c date. 16-05-2016. Form Part II uploaded in additional information . |

सलग्न - डिजिटल मैप, नियोजन फॉर्म, मैप कार्टा,

भवदीय,

M

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3006 / 124(2) अल्मोड़ा दिनांक 16-12-2016

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

विषय थाला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० 9401/2015)

सन्दर्भ आनलाइन आपत्ति

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगी आपत्तियों के निराकरण की पठनीय प्रति एवं संलग्नक डिजिटल मैप आदि की कलड कापी (हार्ड कापी के रूप में) साफ्ट कापी भी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

| क्र०सं० | निराकरण | आपत्ति |
|---------|---|--|
| 1 | Short narrative (Para-A.I(III) online part-I) does not adequate information about the project | Short narrative of the project providing adequate information regarding project in part I is uploaded.(online para-A-1)(iii) |
| 2 | At A I(x) part I online total period for which diversion is required is mentioned as nil. | The total period for which forest land diversion is required is mentioned in at A-1(x)part-I |
| 3 | As per information provided at A.3 part I online, the application is filed by shri kundan lal verma .EE where the authority to file the applivation uploaded at A.3 (xvii) is in the name of shri satish Chandra Arya. Authorization in favor of Kundan Lal Verma may be provided uploaded. | To make the connectivity with the existing road & to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment .there is no any alternat alignment. |
| 4 | KML file fo the proposed uploaded at para C(iii) of part I shows that a long stretch towards end point of the proposed alignment passes through forest land without presence of any village and connects to an already existing road. May review deleting this segment to reduce the requirements of forest land at it is not benefiting any village. | To make the connectivity with the existing road and to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment. There is no any alternat alignment. |
| 5 | In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) part I online the geo coordinates have been shown at very few points. May provide upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed mad including all turning points. | Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached at C (iv)part I |
| 6 | The justification for location the road on forest land uploaded at Para-D-I(i) online part-I provided justification for construction of this road and not justification for locating the same on forest land. | The justification for locating the road on forest land uploaded at Para -D-I(i) online part-I provided. |
| 7 | FRA certificate is not uploaded at Para k of online part-I moreover in the village wise breakup uploaded at Para B-2.3 forest and proposed for diversion SI shown to be distributed over 7 villages whereas in | Complete FRA certificate along with all enclosures are uploaded after necessary corrections in K (i)(a). |

| | | |
|----|---|---|
| | meeting on Gram Sabha regarding settlements of rights has been provided only in respect of 1 village name Gothiya and in the also the date of meeting mentioned in proceeding is 12-12-2015 and the date mentioned in the attendance sheet 12-01-2015. May upload complete FRA certificate along with all enclosures after attending these observations. | |
| 8 | Scanned copy of geo referenced digital map of CA at para L(v) is provided on Google earth image which does not serve any purpose. In addition geo coordinate of one point only is shown in this map may provide upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file. | GIS software generated geo reference digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in the shape (polygon/closed area) file uploaded at Para- L(v) |
| 9 | As par decision support system (DSS) analysis in KML of CA in part II . the extent of area is 3.86 ha instead of 6.66ha area proposed for CA may upload. KML may also be uploaded/ provided accordingly showing coordinate for correct extent of CA area. | The actual area for CA is 6.6ha which is corrected now and KML showing coordinates for correct extent of CA area is uploaded. |
| 10 | A copy of SOI toposheet showing location of the area propose for diversion is uploaded instead of a copy of SOI toposheet showing location of the area proposed for CA at the Para-L (vi) of online part I may upload the SOI toposheet map showing location of area proposed for CA. | SOI toposheet map showing location of area proposed for CA is uploaded CA at Para-L. (iv)of online part I |
| 11 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2009-10 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17 | Administrative approval and financial sanction for construction of this road is validated for the year 2016-17 |
| 12 | In the additional document at serial no 8 uploaded in part I . the density is mentioned as 0.4 where as in para 4 (ii) of part II online the density is mentioned as 0.3 may indicate correct density and revised NPV will also accordingly if required. | 0.3 घनत्व के अनुसार एनपीवी का संशोधित प्रमाण पत्र पुनः एडिशनल इनफोरमेशन में सलग्न कर दिया गया है। |
| 13 | Number of trees mentioned in the list uploaded as additional document in part I is 240 were as detail of only 238 trees provided in para 4 of online part II. | प्रस्ताव में वृक्ष प्रभावित सूची में ट्रुटिवस 30-40 व्यास वर्ग वृक्षों का योग 20 लिखा गया है जबकि 18 की वृक्ष हैं। जिसके कारण कुल योग 238 वृक्षों का है। |
| 14 | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) is not opening may upload it again. | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13(vi) . |
| 15 | At para -13(vii) of online part-II the CA schemes uploaded is for 8.55ha where as per detail provided at para-13(i) of online part-II it should be for 6.66ha. | फार्म II के पैरा -13(1) में क्षतिपूर्क क्षेत्रफल 6.650 है0 अंकित कर दिया गया है। |
| 16 | Part I,II,III,IV,V of hard copy is not provided duly filled and signed the concerned officers. | Signed hard copy of Part-I is submitted along with hard copy of proposal to nodal office with office letter no 1057/36c date. 16-05-2016. Form Part II uploaded in additional information . |

सलग्न - डिजिटल मैप, नियोजन कार्य, मैप आदि,

भवदीय,

M

पत्रांक 02/camp/36सी. /RKY

दिनांक रानीखेत नवम्बर 02, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी से भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-9401/2015)


महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

| क्र. सं. | आपत्ति | निराकरण |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Short narrative (para-A.1(iii) online Part-I) does not adequate information about the project. | Short narrative of the project providing adequate information regarding project in Part-I is uploaded. (Online Para A-1)(iii) |
| 2. | At A 1 (x) Part I online total period for which diversion is required is mentioned as nil. | The total period for which forest land diversion is required is mentioned in At A 1 (x) Part I. |
| 3. | As per information provided at A.3 Part I online, the application is filed by shri Kundan Lal Verma, EE wherea the authority to file the application uploaded at A.3 (xvii) is in the name of Shri Satish Chandra Arya. Authorization in favour of Shri Kundan Lal Verma may be provided uploaded. | Authorization letter in the name of Shri Kundan Lal Verma is now attached (Online para A-3(Xvii)) |
| 4. | KML file of the proposed uploaded at para C (ii) of Part-I shows that a long stretch towards end point of the proposed alignment passes through forest land without presence of any village and connects to an already existing road. May review deleting this segment to reduce the requirement of forest land at it is not benefiting any village. | To make the connectivity with the existing road & to beneficiate the adjacent villages it is necessary to go through proposed alignment. There is no any alternate alignment. |
| 5. | In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) Part I online the geo coordinates have been shown at very few points. May provide upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the porposed mad including all turning points. | Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached at C (iv) Part I. |
| 6. | The justification for locating the road on forest land uploaded at para-D-I (i) online Part-I provided justification for construction fo this road and not justification for locating the same on forest land. | The justification for locating the road on forest land uploaded at para-D-I (i) online Part-I provided. |

Cont. on page 2

| | | |
|-----|--|---|
| 7. | FRA certificate is not uploaded at para-K of online Part-I. Moreover in the village wise breakup uploaded at Para-B-2.3 forest and proposed for diversion is shown to be distributed over 7 village whereas in hard copy of FRA certificate proceedings of the meeting on Gram Sabha regarding settlement of rights has been provided only in respect of 1 village name Gothiya and in the also the date of meeting mentioned in the proceedings is 12.12.2015 and the date mentioned in the attendance sheet is 12.01.2015. May upload complete FRA certificate along with all enclosures after attending these observations. | Complete FRA certificate along with all enclosures are uploaded after necessary corrections in K.(i)(a) |
| 8. | Scanned copy of geo refereced digital map fo CA at para-L(v) is provided on google earth image which does not serve any pupose. In addition geo coordinate of one point only is shown in this map. May provide/ upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. | GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file uploaded at para-L(v). |
| 9. | As per Decision Support System (DSS) Analysis in KML of CA in part II the extent of area is 3.86 ha instead of 6.66 ha area proposed for CA. May upload KML may also be uploaded/provided accordingly showing coordinates for correct extent of CA area. | The actual area for CA is 6.66 ha which is corrected now & KML showing coordinates for correct extent of CA area is uploaded. |
| 10. | A copy of Sol toposheet showing location of the area proposed for diversion is uploaded instead of a copy of Sol toposheet showing location of the area proposed for CA at para-L (vi) of online Part-I. May upload the Sol toposheet map showing location of area proposed for CA. | Sol toposheet map showing location of area proposed for CA is uploaded CA at para-L. (vi) of online Part-I. |
| 11. | Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2009-10. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17. | Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated for the year 2016-17. |
| 12. | In the additional document at sr. no-8 uploaded in Part-I the density is mentioned as 0.4 whereas in para-4 (ii) of Part-II online the density is mentioned as 0.3. May indicate correct density and revise NPV bill also accordingly if required | Related to DFO |
| 13. | Number of trees mentioned in the list uploaded as additional document in Part-I is 240 whereas detail of only 238 trees is provided in para-4 of online Part-II. | Number of trees mentioned in the list uploaded as additional document in Part-I is 240. Part-II may be revised by DFO office. |
| 14. | Suitability certificate of CA area uploaded at para-13 (vi) is not opening may upload it again. | Suitability certificate of CA area uploaded at serial no.L(iv) (f) (g) (h) |
| 15. | At para-13 (vii) of online Part -II the CA schems uploaded is for 8.55 ha whereas as per detail provided at para-13 (i) of online Part-II it should be for 6.66 ha | The actual area for CA is 6.66 ha which is shown in CA map. |
| 16. | Part-I, II, III, IV & V of hard copy is not provided duly filled and signed the concerned officers. | Signed hard copy of Part-I is submitted alongwith hard copy of proposal to nodal office vide this office letter no 1057/36C date 16.05.2016 (Annexure-I attached). Hard copy of Part-II, III & IV may be revised by DFO office. |


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 (11) सनीखेत

परियोजना का नाम -

जनपद - खखण्डा में चला आड़ी - पीरकोट रोड मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रिवाली पल्ली / रिवाली पल्ली

वडा नंबर (108) (45/15) जिला खखण्डा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनापत्ति में जनपद खखण्डा के अन्तर्गत खखण्डा वी.पी.ओ. के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु

हो आवेदित वन भूमि 3.325 हे। सिविल चौक भूमि 1.768 हे। वन पंचायत भूमि 1.557 हे। अर्थात् कुल 3.325

हो वन भूमि का ब्लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याखित काम हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

सर्वेक्षण के विषय में ग्राम पंचायत रिवाली द्वारा दिनांक 10/11/15 को सम्मान प्राप्त वना / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयुक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरोक्त सभी प्रामाणिकों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विषय में खखण्डा वी.पी.ओ. के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

सर्वे के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वेक्षणों से निर्गत किया गया / स्वीकारा जा रहा कि ग्राम रिवाली के प्रामाणिकों को उक्त वन भूमि ब्लोक निर्माण प्रयुक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत रिवाली पल्ली
खखण्डा जिला खखण्डा



[Signature]
ग्राम पंचायत, रिवाली पल्ली
खखण्डा जिला खखण्डा
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुख कार्यालय

(सरपंच) मानसिंह रावत
ग्राम रिवाली पल्ली
खखण्डा जिला खखण्डा
[Signature]

दिनांक की ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|--|
| श्री | अंगारसिंह धानाई | अंगारसिंह |
| | पंकजसिंह |  |
| | रेशमा रावत | Reshama |
| | चक्रेश | Chakresh |
| | चक्रेश कुमार | C.S. Kumar |
| | राजेश्वरी देवी | राजेश्वरी देवी |
| | सुरेशचंद्र | सुरेशचंद्र |



पंचायत प्रमुख
ग्राम प्रधान / सचिव

(निरपेक्ष) अंगारसिंह रावत
शांति देवी देवी पंचायत
पो. ० देवी (वा.क.)
(नए अंगारसिंह)

परियोजना का नाम

जनपद अल्मोड़ा में चला-भ्याड़ी भित्ताकीर नोट्सिंग

जन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनपद प्रति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धुखाडूंगा / गडकोट

तहसील जिला

जनपद प्रमाण पत्र

जनपद में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चला-भ्याड़ी भित्ताकीर नोट्सिंग के निर्माण हेतु

को आवंटित वन भूमि हेतु निर्देश संख्या नूमे 1768 है। वन पंचायत भूमि 1557 है। अर्थात कुल 3325

हेतु वन भूमि को लोके नोट्सिंग विभाग / संस्था के अंतर्गत भारत सरकार प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवंटन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धुखाडूंगा द्वारा दिनांक 14/04/15 को सत्यम ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में जनपद प्रति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्दिष्ट चर्चा की गई। यह कि जन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। समस्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों से परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धुखाडूंगा / गडकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोके नोट्सिंग संस्था एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

ग्राम पंचायत धुखाडूंगा / गडकोट
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत धुखाडूंगा / गडकोट
दिनांक 14/04/15

Anand Kumar

प्राथम - 23.1

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पूर्ण बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति का नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| | श्री जीपाल सिंह | गोपाल सिंह |
| | का-ही देवी | का-ती देवी |
| | Anand Kumar | Anand Kumar |
| | | |
| | | |
| | | |

ग्राम प्रधान / सरपंच

Anand Kumar

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में थला - श्याडी - भिताकोट कोररगा

वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में

ग्राम पंचायत का नाम भीताकोट

तहसील _____ जिला _____

जनपद प्रमाण पत्र

सत्तारक्षक में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला श्याडी भीताकोट परियोजना के निर्माण हेतु।

हो अर्थात् वन भूमि _____ हो दिविक लोक भूमि 1.768 हो वन सन्तत भूमि 1.557 (हो) अर्थात् कुल 3.325

हो वन भूमि का लोटे विधि विभाग / संस्था के पत्र में संशुद्ध सत्यापन प्रमाण एवं इन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापित करने हेतु आवंटन प्रपत्र दिनांक _____

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भीताकोट द्वारा दिनांक 20/11/16 को सत्यापन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि को सख्त में अत्यापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निम्नलिखित चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आवंटित अथवा किसी गैर आवंटित वन भूमि का कब्जा / कृषि कार्य है प्रमाण नहीं। कनिष्ठत सभी प्रमाणपत्रों द्वारा सत्यापित किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आवंटित अथवा गैर आवंटित वन भूमि का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत अधिकारों का सत्यापन नहीं हो पाया है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भीताकोट के प्रमाणपत्रों को उक्त वन भूमि लोटे विधि प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन

24.10.2016
ग्राम पंचायत भीताकोट अधिकारी
ग्राम पंचायत भीताकोट
वि० नं० _____
(अल्मोड़ा)

जोगिणा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत भीताकोट
ग्राम पंचायत / सरपंच
गृह नं० _____
गृह सहाय

प्रारूप - 23.1

जिला को ग्राम सभा की समान बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामपालियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---|-----------------|
| | गोपालाक्षे हुजरी | शानवती का केट |
| | प्रेमा नेगी | प्रेमा नेगी |
| | दीपक नेगी | दीपक |
| | पवित्री देवी | पवित्री देवी |
| | | |
| | | |

जीगणा देवी
 ग्राम सभा / सरपंच
 ग्राम प्रधान / सरपंच

परिचयना का नाम

जनपद - अल्मोड़ा में थला - झाडी - भीताकोर मिल्स की

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुपालना प्रमाण - बत्र

ग्राम पंचायत का नाम मथाल बाखली / गडकोट

तहसील _____ जिला _____

अनुपालना प्रमाण पर

उत्तराखण्ड में पंचायत अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला झाडी भीताकोर परियोजना के निर्माण हेतु

_____ हेतु आवंटित वन भूमि _____ हेतु निर्धारित सामान्य भूमि 1.760 हे। का पंचायत भूमि 1.587 हे। अर्थात् कुल 3.325

हे। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / सखी के क्रम में भारत सरकार, उपर्युक्त एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुपालना करने हेतु आवंटन प्रस्तुत किया गया।

उक्त सरकार के विधाय ने ग्राम पंचायत मथाल बाखली / गडकोट द्वारा दिनांक 16/12/15 को सम्बन्ध प्राप्त समा / ग्राम पंचायत को ईश्वर ने प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के लक्ष्य में अनुपालना प्रमाण पर निर्माण करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का बच्चा / कृषि कार्य है उद्योग नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का बच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के वरन्धरागत अधिकारों का इनमें नहीं है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मथाल बाखली / गडकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

मंगल सिंह
ग्राम पंचायत गडकोट
पदा संभाला गया

ग्राम प्रधान / सरपंच

मथाल बाखली
ग्राम-समा गडकोट नल्बा
पी.ओ. थला गडकोट
पि. 0 20 582 (अल्मोड़ा)

मथाल बाखली
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम 40
पि. 0 582 (अल्मोड़ा)

दिनांक को ग्राम सभा की सम्मान बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---|------------|
| 1 | कुंटा शरिणा रावत | सारिता |
| 2 | गोपालासिंह रावत | |
| 3 | श्री खुशकल सिंह | |
| 4 | विक्रम सिंह | |
| 5 | राजेश सिंह रावत | R. Shankar |
| 6 | राकेश सिंह रावत | |
| 7 | गंगा सिंह रावत | |

8) गिरीश रावत
9) धनभूषासिंह

10) गोविन्दसिंह

सैलासिंह

दीपा देवी

श्री प्रताप सिंह

श्रीमती सत्यशर्मा देवी

मोहन सिंह

जीतसिंह

संजय सिंह


प्रियंका

भूषण सिंह

मंत्रालय
न पंचायत
वरी महासचिव

ग्राम प्रधान/सचिव

ग्राम सभा गडकोट तल्वा
पी.ओ. बरवा गडकोट
बि.स.स. (बरवाडा)



R.T.S.
गंगा सिंह

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में बाला-भाड़ी-भीताकोट कीट रक्षा

इन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा - पत्र

ग्राम प्रधान का नाम गौड़िया / जीजिया मल्ला

तहसील _____ जिला _____

जनपद अल्मोड़ा

प्रस्तावक में जनपद अल्मोड़ा से अन्तर्गत बाला-भाड़ी-भीताकोट परियोजना के निर्माण हेतु

_____ हेतु आवंटित वन भूमि _____ हेतु निकाल योग्य भूमि 1.768 हेतु वन पंचायत भूमि 1.557 हेतु अर्थात् कुल 3.325

हेतु वन भूमि का लोकनिरीक्षण विनाय / कच्चा आकार में वास्तु सचकार पर्याप्तता एवं वन विभाग द्वारा प्रत्यापनित करने हेतु अलग प्रस्ताव किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौड़िया द्वारा दिनांक 12/1/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि इन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आवंटित अर्थात् किसी नर आवंटित का कच्चा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वयं किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आवंटित अथवा नर आवंटित का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके आतिरेक परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के नरपरागत आवंटित का हलज नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खिखी गौड़िया / जीजिया मल्ला ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोकनिरीक्षण के प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

जाय
20/1/2016
ग्राम पंचायत विभागीय अधिकारी
ग्राम पंचायत गौड़िया
दिनांक 14/1/15 (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुख संकेत
महाल 12/1/15
उप पंचायत गौड़िया
अथवा जीजिया
महाल खिखी

दिनांक जो ग्राम सभा की सम्पूर्ण बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---|-------------|
| 1 | कुल सारिता रावत | सारिता |
| 2 | गोपालासिंह रावत | |
| 3 | श्री सुखल सिंह | |
| 4 | विक्रम सिंह | |
| 5 | राजेंद्र सिंह रावत | R. S. Raunt |
| 6 | शंकर सिंह रावत | |
| 7 | गंगा सिंह रावत | |

8) गिरी रावत

9) धनभूषण सिंह

10) गोविन्द सिंह

सौम्य सिंह

दीपा देवी

श्री प्रताप सिंह

श्रीमती सत्येश्वरी देवी

प्रो. र. सिंह


जी. आरिंदु

संजय सिंह

प्रियंका

भुंय सिंह

मंत्रालय
ग्राम पंचायत
पदो भंडार



RTI
गंगा सिंह

ग्राम सभा
ग्राम सभा गडकोट तल्वा
पो.बी. बल्ला गडकोट
बि. सं. सड (शमोडा)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- शुद्धी में सलाहकार, चिकित्सा और प्रयोग के लिए

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बड़िया / गढ़कोट बख्श
तहसील - बख्श, जिला - सुल्तानपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर परियोजना के निर्माण हेतु (1.5175 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.7075 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.5175 हे०) अर्थात् कुल 3.225 हे० वन भूमि का

सुल्तानपुर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापनित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़िया द्वारा दिनांक 12-13-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उल्लिखित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सहसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड़िया / गढ़कोट बख्श के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सुल्तानपुर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

अनापत्ति प्रमाण पत्र
सुल्तानपुर
वन अधिकार विभाग, जिला सुल्तानपुर
सुल्तानपुर

ह०/-
ग्राम प्रधान
सुल्तानपुर

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी को निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 19-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत के.वि.सि. / ब.ल.स. / ब.क.स. / ब.क.स. / ब.क.स.

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------------|
| 1 | श्री. सुभाष चंद्र | सुभाष चंद्र |
| 2 | श्री. जे.ए.के. सिंघानिया | जे.ए.के. सिंघानिया |
| 3 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 4 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 5 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 6 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 7 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 8 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 9 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 10 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 11 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 12 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 13 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 14 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 15 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 16 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |
| 17 | श्री. अ.ए.के. सिंघानिया | अ.ए.के. सिंघानिया |

अ.ए.के. सिंघानिया

सदस्य
श्री. अ.ए.के. सिंघानिया
ग्राम पंचायत-14 बरहथिया

अ.ए.के. सिंघानिया
अ.ए.के. सिंघानिया
अ.ए.के. सिंघानिया

अ.ए.के. सिंघानिया
अ.ए.के. सिंघानिया
अ.ए.के. सिंघानिया

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्र पश्चिम के अन्तर्गत
हेड वन डी.डी. ४३२ परियोजना के निर्माण हेतु
प्रयोजिता एजेंसी को जनहिता में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रस्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्र
जनपद रुद्र

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रुद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्र
जनपद रुद्र

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2
बाला राई शिलोकोट चोर राई

कार्यालय उप जिलाधिकारी, होर
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
 प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, होर

उपखण्ड होर पश्चिम के अन्तर्गत बाला राई शिलोकोट
चोर राई हेतु अर्थात् वन भूमि 1.20 हे० सिविल एवं सौजन्य वन भूमि 1.20 हे०
 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.20 हे० वन भूमि का
प्रयोजन प्रयोजता एजेन्सों के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील होर) की दिनांक 14-01-2011 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश्वर राई, उप जिलाधिकारी एवं अलाहा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

सदस्य प्रीति
 अध्यक्ष-14 वनभूमि
 3-
 4-

- श्री राजेश्वर राई उप जिलाधिकारी होर अध्यक्ष
- श्री राजेश्वर राई उप प्रभागीय वनाधिकारी होर सदस्य
- श्री राजेश्वर राई सहायक समाज कल्याण अधिकारी होर सदस्य/सचिव
- श्री राजेश्वर राई सीडीडीओ क्षेत्र होर सदस्य

उपखण्ड समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बाला राई शिलोकोट चोर राई

परियोजना हेतु 3.20 हे० वन भूमि प्राचीय रत्न चोर राई शिलोकोट प्रयोजता एजेन्सों के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। आम वन के अन्तर्गत वनाधिकार वन कोई मामला जम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नाम रत्न द्वारा सर्वसम्मति से जारित हस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजेश्वर राई द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं हस्तसंबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दायेंदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में आम वन/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

It is further certified that

| S.N. | | Remarks |
|------|--|--|
| (a) | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 ^{3.325} hect. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 4 in annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers; there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

Encl:As above


 Date: 16/01/15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under PRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Sharma, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....16.11.15.....at time 6.0. P.M.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 3.225 hect. for the construction of Thala - Bhiyari Bhitakhat mitar Padol forest land under PRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Date :


निला अशिक्षा
अधीक्षक

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No - H-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3.325hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Thala Bhugrahi Bhitakal water Road.....

(purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Garhot mulla village(s) in Salt Tehsil.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.....Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal does not involve recognized of primitive Tribe Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above



जिला अधिकारी
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

मालाकाट हादर मार्ग (लम्बाई-16.2 किमी)



Scale - 1:15,000




| Muck Disposal Point | | | S.no. | Longitude | Latitude |
|---------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| S.no. | Longitude | Latitude | | | |
| 1 | 79°40' 49.000" E | 29°44' 30.207" N | 1 | 79°40' 49.000" E | 29°44' 30.207" N |
| A | 79°7' 20.698" E | 29°42' 9.594" N | 2 | 79°40' 47.342" E | 29°44' 36.101" N |
| B | 79°7' 21.713" E | 29°42' 24.448" N | 3 | 79°40' 48.931" E | 29°44' 31.583" N |
| C | 79°7' 22.728" E | 29°42' 30.798" N | 4 | 79°40' 48.814" E | 29°44' 26.110" N |
| D | 79°7' 39.551" E | 29°42' 30.035" N | 5 | 79°40' 46.990" E | 29°44' 21.172" N |
| E | 79°7' 55.108" E | 29°42' 32.382" N | 6 | 79°40' 43.860" E | 29°44' 16.420" N |
| F | 79°8' 9.067" E | 29°42' 35.366" N | 7 | 79°40' 41.161" E | 29°44' 11.374" N |
| G | 79°8' 13.956" E | 29°42' 42.286" N | 8 | 79°40' 38.890" E | 29°44' 6.930" N |
| H | 79°7' 40.058" E | 29°42' 47.517" N | 9 | 79°40' 39.945" E | 29°44' 1.729" N |
| I | 79°7' 52.882" E | 29°42' 57.074" N | 10 | 79°40' 43.412" E | 29°43' 57.839" N |
| J | 79°7' 31.364" E | 29°43' 6.978" N | 11 | 79°40' 49.683" E | 29°43' 37.203" N |
| K | 79°7' 13.908" E | 29°43' 21.133" N | 12 | 79°40' 54.826" E | 29°43' 47.655" N |
| L | 79°7' 5.100" E | 29°43' 35.585" N | 13 | 79°40' 54.442" E | 29°43' 52.064" N |
| M | 79°7' 28.697" E | 29°43' 50.267" N | 14 | 79°40' 5.053" E | 29°43' 53.763" N |
| N | 79°7' 29.111" E | 29°43' 59.909" N | 15 | 79°40' 10.400" E | 29°43' 53.558" N |
| O | 79°6' 52.196" E | 29°43' 57.000" N | 16 | 79°40' 15.867" E | 29°43' 54.105" N |
| P | 79°6' 44.543" E | 29°44' 15.589" N | 17 | 79°40' 20.933" E | 29°43' 56.369" N |
| Q | 79°6' 47.268" E | 29°44' 27.121" N | 18 | 79°40' 25.407" E | 29°43' 59.861" N |
| | | | 19 | 79°40' 33.105" E | 29°44' 3.229" N |
| | | | 20 | 79°40' 33.847" E | 29°44' 6.451" N |
| | | | 21 | 79°40' 33.385" E | 29°43' 55.664" N |
| | | | 22 | 79°40' 28.258" E | 29°43' 53.305" N |
| | | | 23 | 79°40' 26.623" E | 29°43' 48.082" N |
| | | | 24 | 79°40' 21.205" E | 29°43' 43.392" N |
| | | | 25 | 79°40' 17.731" E | 29°43' 41.691" N |
| | | | 26 | 79°40' 13.373" E | 29°43' 38.337" N |
| | | | 27 | 79°40' 7.830" E | 29°43' 35.548" N |
| | | | 28 | 79°40' 2.860" E | 29°43' 33.998" N |
| | | | 29 | 79°40' 5.643" E | 29°43' 31.534" N |
| | | | 30 | 79°40' 5.830" E | 29°43' 32.598" N |
| | | | 31 | 79°40' 8.434" E | 29°43' 22.590" N |
| | | | 32 | 79°40' 11.274" E | 29°43' 21.016" N |
| | | | 33 | 79°40' 17.860" E | 29°43' 22.891" N |
| | | | 34 | 79°40' 25.600" E | 29°43' 22.387" N |
| | | | 35 | 79°40' 23.330" E | 29°43' 18.903" N |
| | | | 36 | 79°40' 26.685" E | 29°43' 14.264" N |
| | | | 37 | 79°40' 29.748" E | 29°43' 11.300" N |
| | | | 38 | 79°40' 33.501" E | 29°43' 9.210" N |
| | | | 39 | 79°40' 36.481" E | 29°43' 8.177" N |
| | | | 40 | 79°40' 41.713" E | 29°43' 1.258" N |
| | | | 41 | 79°40' 47.324" E | 29°43' 1.312" N |
| | | | 42 | 79°40' 52.326" E | 29°43' 4.143" N |
| | | | 43 | 79°40' 55.562" E | 29°43' 4.337" N |
| | | | 44 | 79°40' 51.755" E | 29°43' 6.433" N |
| | | | 45 | 79°40' 48.941" E | 29°42' 34.474" N |
| | | | 46 | 79°40' 45.192" E | 29°42' 30.824" N |
| | | | 47 | 79°40' 40.469" E | 29°42' 45.799" N |
| | | | 48 | 79°40' 44.679" E | 29°42' 44.536" N |
| | | | 49 | 79°40' 49.711" E | 29°42' 45.434" N |
| | | | 50 | 79°40' 55.322" E | 29°42' 44.609" N |
| | | | 51 | 79°40' 59.151" E | 29°42' 41.814" N |
| | | | 52 | 79°40' 4.745" E | 29°42' 42.680" N |
| | | | 53 | 79°40' 10.375" E | 29°42' 45.134" N |
| | | | 54 | 79°40' 11.594" E | 29°42' 40.691" N |
| | | | 55 | 79°40' 7.800" E | 29°42' 37.760" N |
| | | | 56 | 79°40' 8.249" E | 29°42' 32.657" N |
| | | | 57 | 79°40' 2.703" E | 29°42' 31.804" N |
| | | | 58 | 79°40' 47.081" E | 29°42' 30.889" N |
| | | | 59 | 79°40' 51.705" E | 29°42' 30.227" N |
| | | | 60 | 79°40' 46.434" E | 29°42' 30.806" N |
| | | | 61 | 79°40' 40.785" E | 29°42' 30.081" N |
| | | | 62 | 79°40' 35.136" E | 29°42' 29.171" N |
| | | | 63 | 79°40' 29.743" E | 29°42' 24.703" N |
| | | | 64 | 79°40' 21.711" E | 29°42' 32.024" N |
| | | | 65 | 79°40' 33.050" E | 29°42' 27.121" N |
| | | | 66 | 79°40' 21.583" E | 29°42' 21.671" N |
| | | | 67 | 79°40' 16.814" E | 29°42' 19.067" N |
| | | | 68 | 79°40' 15.172" E | 29°42' 15.010" N |
| | | | 69 | 79°40' 19.343" E | 29°42' 11.377" N |
| | | | 70 | 79°40' 23.036" E | 29°42' 7.171" N |
| | | | 71 | 79°40' 19.932" E | 29°42' 3.561" N |
| | | | 72 | 79°40' 14.647" E | 29°42' 4.646" N |
| | | | 73 | 79°40' 10.078" E | 29°42' 5.897" N |
| | | | 74 | 79°40' 7.991" E | 29°42' 1.064" N |
| | | | 75 | 79°40' 5.093" E | 29°41' 37.394" N |

Legend


- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

(Handwritten signatures)

अविभासी अभियन्ता
 प्र. राड, लो. वि.
 रानोखत [अ.म.]



Scale - 1:10,000



| S.no. | Longitude | Latitude |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 79°7' 47.050" E | 29°40' 15.625" N |
| 2 | 79°7' 44.725" E | 29°40' 9.646" N |
| 3 | 79°7' 50.858" E | 29°40' 10.720" N |
| 4 | 79°7' 57.262" E | 29°40' 10.746" N |
| 5 | 79°8' 2.351" E | 29°40' 12.649" N |
| 6 | 79°8' 6.768" E | 29°40' 7.656" N |
| 7 | 79°8' 5.770" E | 29°40' 2.201" N |
| Muck Disposal Point | | |
| A | 79°8' 7.552" E | 29°40' 4.714" N |
| B | 79°8' 5.435" E | 29°40' 7.838" N |
| C | 79°7' 55.782" E | 29°40' 9.807" N |

Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road


(Handwritten signatures)

अविभागीय निका
 प्रमुख निका, लोन्गि
 शान्ति [अत्मोद्धार]

भीताकोट मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000



Legend


-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest Area
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Division Boundary

Handwritten signature

Handwritten signature

अविश्वसी अधिष्ठाता
 वन विभाग, सोनी
 चानीखेत [अल्मोड़ा]

जीयोरफ़ैरन्स मैप - जनपद अल्मोड़ा में प्रस्तावित थला - भ्याडी - भीताकोट मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Land

[Signature]

[Signature]


[Signature]
श्रीनिवासी शक्तिशर्मा
 सहायक प्रमुख, लो. रू. नि. सं.
 टांगो क्षेत्र [अल्मोड़ा]


| S.no. | Longitude | Latitude |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 | 79°7' 10.086" E | 29°41' 47.581" N |
| 2 | 79°7' 7.997" E | 29°41' 48.630" N |
| 3 | 79°7' 5.328" E | 29°41' 49.227" N |
| 4 | 79°7' 1.704" E | 29°41' 49.844" N |
| 5 | 79°7' 0.130" E | 29°41' 47.616" N |
| 6 | 79°6' 59.737" E | 29°41' 44.827" N |
| 7 | 79°7' 0.069" E | 29°41' 42.684" N |
| 8 | 79°6' 59.299" E | 29°41' 41.027" N |
| 9 | 79°6' 58.248" E | 29°41' 37.812" N |
| 10 | 79°6' 57.858" E | 29°41' 35.940" N |
| 11 | 79°6' 56.559" E | 29°41' 34.625" N |
| 12 | 79°6' 59.722" E | 29°41' 35.365" N |
| 13 | 79°7' 1.991" E | 29°41' 35.511" N |
| 14 | 79°7' 2.229" E | 29°41' 36.479" N |
| 15 | 79°7' 2.859" E | 29°41' 38.412" N |
| 16 | 79°7' 3.956" E | 29°41' 40.819" N |
| 17 | 79°7' 5.127" E | 29°41' 43.507" N |
| 18 | 79°7' 9.012" E | 29°41' 46.756" N |

परियोजना का नाम :- विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण में 3:32.5 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ओखलिया के खतौनी खाता सं००९).....की 6:65.0 है० सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


अधिसूत्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


पटवारी,
नहरील, सल्ट



तहसीलदार
सल्ट
बल्ट जिला-अल्मोड़ा (उत्तरी)


उपजिलाधिकारी,
सल्ट (अल्मोड़ा)
जिला-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- थला-श्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग । (किमी. 15.00)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- ओखलिया (सिविल)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि- 6.650 है० या 6.66 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 7315 (1100 पौधे प्रति है० की दर से कुल 7315 वृक्ष)

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | ईकाई | इकाई दर (रु०) | योग | |
|-----------------|--|----------|---------------|---------|-----------|
| 1. | सर्वे एवं सीमांकन | 6.650 | है० | 97.00 | 645.05 |
| 2. | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि) | 6.650 | है० | 584.00 | 3883.60 |
| 3. | अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग) 84 घन मी प्रति है० की दर से | 540.00 | घन मी | 315.00 | 170100.00 |
| 4. | मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान | 6.650 | | 76600 | 509390.00 |
| अ | पत्थरों का चैक डेम | | | | |
| ब | वाटर हार्चसिटिंग डेम | | | | |
| 5. | कन्दूर फर्रो कार्य प्रति है० 600 र०मी० की दर से | 3842.00 | र० मी | 7.33 | 28161.86 |
| 6. | गद्दा खुदान (0.30X0.30X0.45) | 8217 | पौध | 7.33 | 60230.61 |
| 7. | निरीक्षण बटिया बनाना | 6.650 | है० | 485.00 | 3225.25 |
| 8. | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) | 7315 | पौध | 5.89 | 43085.35 |
| 9. | अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना एवं अन्य कार्यों पर व्यय | 6.650 | है० | 400.00 | 2660.00 |
| योग प्रथम चरण - | | | | | 821381.72 |
| द्वितीय चरण | | | | | |
| 1. | गद्दा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45) | 7315.000 | पौध | 1.15 | 8412.25 |
| 2. | कन्दूर फर्रो में बीज बुआई प्रति है० 600 र०मी० की दर से | 4482.00 | र० मी | 0.69 | 3092.58 |
| 3. | पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष) | 7315.000 | पौध | 1.15 | 8412.25 |
| 4. | पौध दुलान कार्य | 7315.000 | पौध | 6.39 | 46742.85 |
| 5. | पौधारोपण व थावला बन्दी | 7315.000 | पौध | 2.06 | 15068.90 |
| 6. | निराई, गुड़ाई व मल्विंग (दो बार) | 7315.000 | पौध | 0.76 | 5559.40 |
| 7. | खाद व दवा पर व्यय | 7315.00 | कि०ग्रा | 0.21 | 1536.15 |
| B-1 | प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रुXहै०X18माह) | 6.650 | है० | 4768.00 | 31707.20 |
| 8-2 | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत | | | | |
| | 2.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4मी० की मट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 600.00 | 3990.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | इकाई | (रु०) | योग | |
|---|--|-------|-------|------------------|----------|
| 9. | अन्य व्यय पौघ दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डैक्थूमेटेशन आदि कार्य | 6.650 | है० | 700.00 | 4655.00 |
| योग द्वितीय चरण | | | | 133000.33 | |
| योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण | | | | 954382.05 | |
| वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.65 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 2 | अन्य कार्य | | | | |
| योग (तृतीय वर्ष रख रखाव) | | | | 54776.05 | |
| वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (चतुर्थ वर्ष रख रखाव) | | | | 54776.05 | |
| वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (पंचम वर्ष रख रखाव) | | | | 54776.05 | |

| वृक्षारोपण का सष्ठम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-----|---------|----------|
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (सष्ठम वर्ष रख रखाव) | | | | | 54776.05 |
| वृक्षारोपण का सप्तम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (सप्तम वर्ष रख रखाव) | | | | | 54776.05 |
| वृक्षारोपण का अष्ठम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (अष्ठम वर्ष रख रखाव) | | | | | 54776.05 |
| वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (नवे वर्ष रख रखाव) | | | | | 54776.05 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | इकाई | प्रति इकाई की लागत (रु०) | योग | |
|--|--|-------|--------------------------|---------|-------------------|
| वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव | | | | | |
| 1. | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुसूचना कार्य | 6.650 | है० | 7152.00 | 47560.80 |
| 2. | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है | 6.650 | है० | 350.00 | 2327.50 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाद के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना | 6.650 | है० | 225.00 | 1496.25 |
| | 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 6.650 | है० | 510.00 | 3391.50 |
| 3. | अन्य कार्य | | | | |
| योग (दशम वर्ष रख रखाव) | | | | | 54776.05 |
| महायोग | | | | | 1392590.45 |
| अथवा | | | | | 1392500.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

राष्ट्रीय वन विभाग
भारतीय वन विभाग
राजीव गांधी राष्ट्रीय
प्रायश्चित्त (अस्मोडा)


[Handwritten signature]
वन क्षेत्र अधिकारी
राजीव गांधी प्रायश्चित्त
अस्मोडा वन विभाग, अस्मोडा


[Handwritten signature]
प्रशासकीय वनाधिकारी,
अस्मोडा वन विभाग, अस्मोडा


परियोजना का नाम :- विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत थला-ग्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत थला-ग्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण में 3.1.3.2.5 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ओखलिया के खतौनी खाता सं० २९ की ६.६९ है० सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


अधिशक्ती अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


पटवारी,
तहसील सल्ट
५२


तहसीलदार,
सल्ट
सल्ट जिला-अल्मोड़ा (उत्तर)


उपजिलाधिकारी,
सल्ट(अल्मोड़ा)